

5
24/18

राजस्थान राज्यपाल/राजस्थान अधीन अधिकारी
कोर्ट पर हैं। बतः एकाधिकारी पूर्णतया
बतः -- बतः -- दिनांक 19-7-18 को ध्यान में



19 7
18

पत्रावली प्रेषित हुई। बार-बार आवाज लडावाये
जाने के बाद भी न तो अति. अती. और न ही
स्वयं अती. उपस्थित आये। अतः अपील अपीलान्त
अदम्य प्रैरणी अदम्य हाजरी में एवापिज की जाती
है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर एकर से उक्त
की आरंभ बाद लडावाये जाकर कार्रवाई करवाये
की आवे। /


मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्थान अधीन अधिकारी, अलवर